न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र संख्या : 68/2022

प्रार्थी गण — अप्रार्थी

कंवराराम वगैरा — बनाम — राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131,136 भू.राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/1/2025	प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया कर निवेदन किया गया कि ग्राम खेजडली कला के खसरा नम्बर 209, 209/1, 210, 210/1, 211, 211/1, 212, 220, 221, 222, 224 मे स्थित है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है उक्त खसरा नम्बर 200 के उत्तरी भाग मे खसरा नम्बर 209, 209/1, 210, 210/1, 211, 211/1, 212, 220, 221, 222, 224 सभी काश्ताकारो का खेत व रहवासीया ढाणियॉ पक्के मकान टांके इत्यादि बने है जहॉ वक्त सेटलमेन्ट से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त व रहवास है इन खेतो का वक्त सेटलमेन्ट से कदीमी रास्ता पीढियो से संलग्न नक्शे मे वर्णित रास्ता मार्क ए,बी,सी,डी पर से चाल आ रहा है जिसका प्रार्थीगण शन्तिपूर्ण पीढियो से आवागमन हेतु उपयोग व उपयोग लेते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण मे विभिन्न खसरान् के राजस्व रेकर्ड मे ऑनलाईन नक्शा मे की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाने हेतु न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किया गया प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्र कंमाक/भूअ/2024/3754 दिनांक 06.12.2024 के द्वारा प्रकरण मे मौका जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई मौका जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण मे ग्राम खेजडली कला के खसरा नम्बर 200, 200/1 की तरमीम ऑनलाईन करते वक्त लिपिकीय त्रुटिवंश गलत दर्ज होना बताया कि खसरा नम्बर 200 मे से 3.4722 हैक्टर भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 208 के द्वारा आवटन हुआ। नामान्तरकरण संख्या 208 की पुश्त पीछे नजरी नक्शा अकित नही होना बताया मौके पर कब्जा अनुसार भू–अ निरीक्षक गुडा विश्नोइयान द्वारा फर्द मौका तैयार कर नजरी दर्शाया हुआ है उक्त नजरी नक्शा मे खसरा नम्बर 200 की भूमि जो खसरा नम्बर 200/1 के सहारे सहारे हे वो मोड पर रास्ते हेतु उपयोग आ रही है उक्त नजरी नक्शा अनुसार ऑनलाईन मे सही तरमीम करने की अनुशंषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई।	

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः– प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूणी की अनुशंषा के आधार पर स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश किया जाता है कि मौका फर्द दिनाक 28.11.2024 के अनुसार ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त किया जावे मौका फर्द 28.11.2024 आदेश का भाग समझा जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)